राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

पत्रांकः एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा. / पेयजल / 2016 / 4904-22 जयपुर, दिनांक 10.5.16

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
अजमेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा,
चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर,
जैसलमेर, जालौर, झुंझुनूं, जोधपुर, नागौर, पाली,
राजसमंद, उदयपुर एवं प्रतापगढ़ (राज0)।

विषयः– अभाव खरीफ सम्वत 2072 में अभावग्रस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश।
प्रसंगः– इस विभाग के पत्रांकः पत्रांकः एफ.4(1) आ.प्र.एवं सहा. / पेयजल / 2016 / 3774–705 दिनांक 13.4.2016 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि अभाव खरीफ सम्वत 2072 में अभावग्रस्त ग्रामों एवं नगरीय क्षेत्रों में आपातकालीन पेयजल उपलब्ध कराने बाबत दिशा निर्देश जारी किए गए थे। मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 03.5.2016 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयानुसार निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेः–

1. सामान्य मापदण्ड है कि 1.6 किमी परिधि अथवा पर्याप्त जल स्त्रोत नहीं होने के कारण टैंकर परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध करवाया जाता है परन्तु व्यावहारिक कारणों से 1.6 किमी की परिधि के स्थान पर 1 किमी की परिधि का मापदण्ड अपनाया जावे। अतः जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा लिये गये निर्णय के अनुरूप खरीफ सम्वत् 2072 के अभावग्रस्त जिलों में भी 1 किमी की परिधि में पर्याप्त जल स्त्रोत न होने की स्थिति में जिला प्रशासन के माध्यम से टैंकर परिवहन करवाया जावे।
2. सामान्यतया व्यावहारिक रूप से एक टैंकर द्वारा 5 से 7 ट्रिप ही किये जा सकते हैं। अतः टेंकर परिवहन के सम्बन्ध में प्रतिदिन प्रति टेंकर ट्रिप्स के सम्बन्ध में व्यावहारिक मानदण्ड प्रसारित कर उसकी निरन्तर निगरानी करें। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलेक्टर, उप खण्ड अधिकारी, तहसीलदार एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी निरन्तर निरीक्षण करें। वे यह विशेष ध्यान रखें कि किसी भी टैंकर की ट्रिप संख्या अव्यावहारिक न हो।
3. जिला कलेक्टर सुनिश्चित करें कि पेयजल परिवहन भुगतान के प्रमाणित शुदा बिल परिवहन माह की अंतिम तिथि से 15 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिये जावें अर्थात् सम्बन्धित एजेन्सी माह मई का प्रमाणित बिल भुगतान हेतु 15 जून तक, माह जून का बिल 15 जुलाई तक तथा 15 जुलाई तक का बिल 31 जुलाई तक ही प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाले बिलों के कारण जिला कलेक्टर द्वारा विभाग को विलम्ब से की गई ऑन–लाईन बजट डिमाण्ड के लिए सम्बन्धित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किये जाने के पश्चात् ही आवश्यक कार्यवाही की जावे।

P.T.O.

4. पेयजल परिवहन के सम्बन्ध में जारी दिशा–निर्देश दिनांक 13.4.2016 के बिन्दु संख्या 5 में आपातकालीन पेयजल परिवहन हेतु केवल उन्हीं टैंकरों को अनुमत किये जाने की शर्त थी कि जिन टैंकरों पर जीपीएस एवं फ्लोमीटर लगा हो, इस शर्त में आ रही व्यावहारिक कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए आगामी आदेशों तक शिथिलता प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में अन्य निर्देशों के क्रम में विभागीय आदेश क्र. एफ 4(1) आ.प्र.एवं सहा./ पेयजल/2016/3774–705 दिनांक 13.4.2016 की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

शासन सचिव

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाहीं हेतु प्रेषित हैः–
1. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री, राज0,जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग,राज0.,जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0, जयपुर।
4.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, पशुपालन, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज.0, जयपुर।
7. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
9. प्रोग्रामर, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
10. समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

शासन उप सचिव